

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th October, 2017

No. 46/2017-Central Tax

G.S.R. 1287(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 10 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.8/2017- Central Tax, dated the 27th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 647(E), dated the 27th June, 2017, namely:-

In the said notification,-

- (i) for the words “seventy-five lakh rupees”, the words, “one crore rupees” shall be substituted;
- (ii) for the words “fifty lakh rupees”, the words, “seventy-five lakh rupees” shall be substituted;

[F. No. 354/117/2017-TRU (Pt. III)]

RUCHI BISHT, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर, 2017

सं. 35/2017-एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 1288(अ).—एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार इस परिषद की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 1/2017-एकीकृत कर (दर), तारीख 28 जून, 2017, सा.का.नि. 666(अ), तारीख 28 जून, 2017, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, -

(क) अनुसूची I – 5% में,-

- (i) क्रम सं. 29 में कालम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि, “0802, 0813”, को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ii) क्रम संख्या 30 और संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा,-

“30 (क)	0804	आम कटे हुए, सुखाए हुए”;
---------	------	-------------------------

- (iii) क्रम संख्या 99 और संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा,-

“99 (क)	1905 या 2106	खाखरा, प्लेन चपाती/रोटी”;
---------	--------------	---------------------------

- (iv) क्रम संख्या 101 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा;

“101 (क)	2106 90	नमकीन, भुजिया, मिक्चर, चबेना और इसी प्रकार के अन्य उत्पाद जो कि तत्काल खाए जा सकते हैं, उनसे भिन्न जो कि यूनिट कंटेनरों में बंद हों, और- (क) जिन पर पंजीकृत ब्रांड नाम लिखा हो; या (ख) ऐसा ब्रांड नाम लिखा हो जिस पर किसी कानून के न्यायालय
----------	---------	---